

माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व एवं शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

राहुल बधाला (शोधार्थी) शिक्षा विभाग, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़
डॉ. ललित कुमार (शोध निर्देशक) शिक्षा विभाग, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़

प्रस्तावना :

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका सम्पूर्ण विकास समाज में ही संभव है। विकसित समाज के लिए यह आवश्यक है कि उसका प्रत्येक नागरिक शिक्षित एवं जागरुक हो। शिक्षित मनुष्य उपयोगी एवं व्यावहारिक ज्ञान का भण्डार रखता है। ज्ञान की प्राप्ति आजीवन चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया से होती है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। विद्वानों ने इस प्रक्रिया के तीन अंग माने हैं— शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यवस्तु। इन तीनों अंगों में शिक्षक का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यद्यपि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में बालक को शिक्षा की प्रक्रिया में प्रथम स्थान देने की बात कही गई है, लेकिन सही मायने में इस प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु शिक्षक होता है। शिक्षकों का महत्व बताते हुये श्री एच.जी. वैल्स ने लिखा है कि “अध्यापक इतिहास का वास्तविक निर्माता है।”

बूबेकर के शब्दों में :

‘सम्भवता की उन्नति शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करती है।’

जॉन एडम्स के अनुसार ‘शिक्षक मनुष्य का निर्माता है।’

सीखने सिखाने की प्रक्रिया आदिकाल से चलती आ रही है। मानव का जीवन ही शिक्षा है। प्राचीन काल में शिक्षक का चयन प्रायः परिस्थितियों से निर्धारित किया जाता था। उस समय यद्यपि शिक्षकों के गुणों का विश्लेषण नहीं किया जाता था फिर भी कुछ ऐसे ही व्यक्ति शिक्षक बनते थे जिनमें शिक्षण कार्य के लिए कुछ प्रवृत्तियाँ या अभियोग्यताएं होती थीं। इनमें ज्ञान एवं नेतृत्व सामान्य गुण रहते थे। समाज के विकास के साथ-साथ शिक्षकों की आवश्यकताएँ बढ़ती गई और शिक्षण का उद्देश्य एवं स्वरूप भी परिवर्तित होता गया। मध्यकाल में प्रायः यह एक व्यवसाय बन गया। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोग आये जिनमें इसके लिए कोई विशेष अभियोग्यता नहीं थी। किसी अन्य व्यवसाय में कोई अवसर न मिलने के कारण वे अध्यापन में आने लगे। इस कारण शिक्षा की प्रक्रिया में बहुत से दोष आ गए।

किसी भी समाज की उन्नति उसमें रहने वाले व्यक्तियों पर निर्भर होती है। समाज को उचित दिशा देने हेतु शिक्षा की आवश्यकता को सदैव ही स्वीकार किया गया है। प्रत्येक देश, काल व परिस्थिति में शिक्षा के महत्व को अनुभव किया जाता रहा है। शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए समाज द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया को निश्चितता प्रदान करने का प्रयास किया गया। शिक्षा की इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से तीन पक्ष सामने आये— शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा की इस प्रक्रिया के इन तीनों पक्षों को ही महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन शिक्षक को इस प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष स्वीकार किया गया। यद्यपि वर्तमान में शिक्षार्थी को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है, लेकिन शिक्षक का महत्व पूर्व की तरह आज भी बना हुआ है और यह आगे भी बना रहेगा।

शिक्षाविद् नेल्सन एल. बासिंग के शब्दों में ‘किसी भी शिक्षा योजना में मैं शिक्षक को निर्विवाद केंद्रीय स्थान देता हूँ।’

व्यवसायिक प्रतिबद्धता संबन्धी पृष्ठभूमि :

व्यवसायिक प्रतिबद्धता व्यक्ति में अपने कार्य के प्रति समर्पण की भावना का प्रतिबिम्बन है। यह प्रतिबद्धता दो कारकों का बोध कराती है— प्रथम, व्यक्ति को शिक्षण व्यवसाय अपनाने में गर्व महसूस करना तथा द्वितीय, अपने कार्य को और अच्छे ढंग से करने की तीव्र इच्छा।

प्राचीन समय में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। यहाँ वचनबद्धता को प्राणों से भी अधिक महत्व दिया जाता था। यहाँ नालंदा, तक्षशिला तथा विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व में शिक्षा का परचम लहरा रहे थे। शिक्षक अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। वे शिक्षण कार्य को एक व्यवसाय के रूप में न अपनाकर समाज सेवा के रूप में देखते थे। उनका मुख्य उद्देश्य अपने शिष्यों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना होता था। छात्र भी अपने गुरु के वताये हुये रास्ते पर चलते थे। आज हमारे देश में शिक्षकों की प्रतिबद्धता में दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है। वे अधिकांशतः अपने निजी कार्यों को करने में व्यस्त रहते हैं तथा केवल कक्षा के अन्दर ही

अपने कर्तव्यों की औपचारिकता पूरी करना अपना फर्ज समझते हैं, जबकि शिक्षक पर कक्षा में तथा कक्षा के बाहर दोनों स्थितियों में छात्रों के सर्वांगीण विकास की नैतिक जिम्मेदारी होती है। महात्मागांधी ने भी शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में कहा है कि—“एक शिक्षक का दायित्व कक्षा में विद्यार्थियों के लिए जितना है, उससे कहीं ज्यादा कक्षा के बाहर है।”

शिक्षक की प्रतिबद्धता शिक्षा के समस्त पहलुओं को प्रभावित करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध होंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता स्वयं निर्मित हो जायेगी। शिक्षकों को इस बात को समझना होगा किकेवल छात्र ही नहीं अपितु समाज, देश तथा विश्व भी उनकी प्रतिबद्धता से प्रभावित होता है। उन्हें इस प्रतिबद्धता को बढ़ाना होगा। उन्हें सभी प्रलोभनों को छोड़कर अपनी व्यवसायिक प्रतिबद्धता स्थापित करनी होगी।

राष्ट्रीय शिक्षानीति (1986) के अनुसार “आज भारत राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण के ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें परम्परागत मूल्यों के व्यापार का खतरा पैदा हो गया है और समाजवाद, धर्म—निरपेक्षता, लोकतंत्र तथा व्यवसायिक नैतिकता के लक्ष्यों की प्राप्ति में लगातार बाधाएँ आ रहीं हैं।”

विद्यालयी शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा (2000 व 2005) में विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर मूल्यों के विकास की बात कही गयी है। लेकिन यहाँ यह स्मरण है कि जब तक शिक्षक अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध एवं जवाबदेह नहीं होंगे तब तक मूल्य शिक्षा का विकास एक कोरी कल्पना मात्र होगा।

ब्रजभूषण ज्ञा (2004) के अनुसार ‘शिक्षक, विद्यार्थियों की प्रत्येक कठिनाई को दूर कर खोये हुये मूल्यों को प्राप्त करने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं।’

हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने 5 सितम्बर 2019 को शिक्षक दिवस पर देश के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को संबोधन पर विस्तृत एवं ओजस्वी भाषण दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का शिक्षक दिवस पर शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को संबोधन का मूल उद्देश्य संभवतः उनके कार्यों एवं दायित्वों का बोध कराना था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षकों में व्यवसायिक प्रतिबद्धता का अभाव है और वे अपने पवित्र कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं। आज शिक्षकों में प्रतिबद्धता लाने के लिए एक विशाल जन आन्दोलन चलाने की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

उत्तरदायित्व संबन्धी पृष्ठभूमि :

शिक्षक शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया का प्रमुख स्तम्भ है। वह राष्ट्र के भविष्य का निर्माता है। वह अपनी ज्ञान की रोशनी से संपूर्ण समाज को प्रकाशमय करता है। समाज एवं राष्ट्र की उन्नति की नींव को शिक्षकों द्वारा रखा जाता है। विद्यार्थियों तथा समाज को सही रास्ता दिखाने का पवित्र कार्य शिक्षक का होता है। वह निःस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। लेकिन अनेक विद्वानों ने अपने अनुभव व सर्वेक्षण के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला है कि शिक्षक में जैसे—जैसे अनुभव बढ़ता जाता है, वैसे ही उसमें शिक्षण की प्रक्रिया में नये प्रयोगों के प्रति उदासीनता आने लगती है। वह इसे एक रूटीन कार्य की तरह करता जाता है, जबकि एक उद्योग में अनुभव के बढ़ने पर कुशलता में वृद्धि का होना स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया जाता है। शिक्षक के विषय में कहा जाता है कि चालीस वर्ष की आयु के पश्चात् शिक्षक के अन्दर का शिक्षक मरने लगता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, शिक्षक की जबाबदेही तय करने पर इस दृष्टिकोण से भी बल देती है कि शिक्षकों में उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने हेतु एक निश्चित मानक हो व उनकी जबाबदेही को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

पॉल (2000) के अनुसार “एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षा में सार्थक, अर्थपूर्ण, अनिवार्य एवं नैतिक रूप से जिम्मेदार की भूमिका निभायेगा।”

व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखने पर उत्तरदायित्व एवं जबाबदेही की भावना का विकास होना स्वाभाविक है। वर्तमान में यह आवश्यक भी है। यदि इस बिन्दु पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाये तो यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है कि शिक्षा की इस प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मचारी अपने कार्य की कुशलता, गुणवत्ता, परिणाम आदि के प्रति उत्तरदायी हैं। वस्तुतः यही व्यवसायिक दृष्टिकोण की प्रमुख बात है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षकों को अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी व जबाबदेह होना चाहिए।

माध्यमिक विद्यालयी शिक्षकों में उत्तरदायित्व की समस्या का जन्म विनाशकारी महामारी के कीटाणुओं के जन्म के समान है क्योंकि इस स्तर पर उत्पन्न समस्या समाज के प्रत्येक स्तर तक तीव्रता से फैलती है एवं युवा वर्ग पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। समाज का कोई भी अंग शिक्षक उत्तरदायित्व की समस्या से अछूता नहीं रहता। अतः माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को वास्तविक रूप से प्राप्त करने हेतु प्रथम व सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त माध्यमिक विद्यालयी शिक्षकों में उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने की है। यदि उत्तरदायित्व की भावना

शिक्षकों में उत्पन्न होगी तो वे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरुक होंगे और समाज की उन्नति में योगदान दे सकेंगे साथ ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी पूर्ण जिम्मेदारी से कर सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भाग-9 (शिक्षक) में शिक्षक की जबाबदेही के प्रश्न को उठाते हुए कहा गया है कि जबाबदेही के मानक तय किये जायेंगे। अच्छे कार्य को प्रोत्साहित किया जायेगा और निम्न स्तर के कार्यों को निरुत्साहित। इस नीति के भाग-7 (शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना) में शिक्षा-तंत्र को सक्रिय बनाने की चर्चा की गई है, साथ ही अध्यापकों को अधिक सुविधाएँ और उनकी जबाबदेही को और अधिक स्पष्ट करने को भी वर्णित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (1983-85) ने अध्याय- 9 में (शिक्षक से समाज की अपेक्षाएं) में शिक्षकों से सम्बन्धित समस्याओं को उठाया है। आयोग के अनुसार शिक्षकों को प्रदत्त सुविधाएँ, वेतन, भत्ते, अच्छी व्यवस्था आदि के परिप्रेक्ष्य में यदि उनके कार्य-निष्पादन स्तर अपेक्षा से काफी नीचा है। अधिकांश शिक्षक शिक्षक-राजनीति में रुचि रखते हैं तथा शिक्षक संघों की गतिविधियों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं। वे शिक्षण में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षकों के शैक्षिक तथा अन्य कार्यों का कोई मूल्यांकन नहीं होता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1983-85) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षक वास्तव में किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होते। बेहतर वेतन एवं कार्य-परिस्थितियों के बावजूद शिक्षक ने अपना पारम्परिक सम्मान खो दिया है और अब समाज में उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। राज्य में अधिकांश शिक्षक न तो छात्रों के प्रति और न ही समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के साथ न्याय करते हैं। कार्य योजना (1968) के अनुसार शिक्षक-मूल्यांकन के लिए एक व्यापक, खुली, प्रतिभागी और आंकड़ा आधारित पद्धति स्थापित की जायेगी। जो थोड़े बहुत शिक्षक अपना निष्पादन नहीं दे सकते अथवा ध्यानपूर्वक काम नहीं करते उन्हें अलग कर दिया जायेगा और जहाँ आवश्यक होगा उन्हें समुचित दण्ड भी दिया जायेगा।

शिक्षक को शिक्षण कार्य से विमुख करने में शिक्षकों का ही विशेष रूप से वरिष्ठ एवं प्रभावशाली शिक्षकों को उत्तरदायी माना जा सकता है। जब एक शिक्षक जो उत्तरदायित्व की भावना से ओत-प्रोत है और अपने शिक्षण कार्य को रुचि लेकर सम्पन्न करता है, उसका परिणाम भी बेहतर होता है लेकिन इसके बदले में उसे अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती। जब वह एक लापरवाह शिक्षक को भी उतना ही वेतन पाते देखता है तो वह भी शिक्षण से विमुख होने लगता है। ऐसे परिश्रमी अध्यापकों को प्रोत्साहित करने एवं लापरवाह शिक्षकों को दण्डित करने का प्रावधान समय की आवश्यकता है। यदि इस पर तत्काल अमल नहीं हुआ तो समाज में शिक्षक का बचा सम्मान भी खत्म हो जायेगा।

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भी शिक्षकों के उत्तरदायित्व पर प्रकाश डालते हुये लिखा है कि “संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने का दायित्व शिक्षक का होता है।”

मिश्रा एवं तिवारी (2008) ने इस संदर्भ में लिखा है कि ‘कहीं न कहीं शिक्षकों के कर्तव्य-बोध एवं दायित्व निर्वहन में शिथिलता आयी है।’

शैक्षिक नवाचारों से संबन्धित पृष्ठभूमि :

परिवर्तन ही सृष्टि का शाश्वत् नियम है। परिवर्तन से सृष्टि में नवीनता आती है। प्रतिक्षण सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है। पेड़ों पर मृदु कोपलें निकलती है जो हरे पत्तों का रूप धारण करती हैं। हरे पत्ते पीले पत्तों में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर पीले पत्ते भी सूख कर झड़ जाते हैं और इनके स्थान पर फिर नये पत्ते आ जाते हैं। पेड़ों की टहनियों पर पहले नन्ही-कलिकाएँ प्रादर्भूत होती हैं। वे सुन्दर सुगन्धित पुष्प का रूप धारण करती हैं। पुष्प पहले मुरझाता है और फिर सूख कर हवा के झोकों से बिखर जाता है। प्रकृति की यह नित्य नयी नवीनता हमें सदा आकर्षित करती रहती है। प्रकृति की इस चिर नवीनता की पृष्ठभूमि में परिवर्तन की प्रमुख भूमिका रहती है। समय परिवर्तनशील है और ब्रह्माण्ड की प्रत्येक वस्तु को यह अपने आगोश में ले लेता है।

परिवर्तन प्रकृति तक ही सीमित नहीं है। समाज में भी प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। पुरानी मान्यताओं का स्थान नवीन मान्यतायें ले रही हैं। पुरातन विचार जा रहे हैं, नूतन विचार आ रहे हैं। पुरातन मूल्यों का स्थान, नूतन मूल्य ग्रहण कर रहे हैं। जल स्थिर रहेगा, तो जल सड़ेगा ही। यदि जल का प्रवाह जारी रहेगा— अर्थात् पुराने जल का स्थान, नया जल लेता रहेगा, तो जल शुद्ध बना रहेगा। इसी प्रकार जो समाज स्थिर, यथावत् स्थिति में बना रहना चाहता है, नवीन विचारों को ग्रहण नहीं करता है, वह जीवित नहीं रह सकता। नये-नये विचारों को ग्रहण करने से समाज को नया जीवन प्राप्त होता है। उसमें नयी स्फूर्ति आती है और वह सदा अग्रणी

स्थान प्राप्त करता है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। इससे प्रत्येक क्षेत्र की कार्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन आया है। शिक्षण की वैज्ञानिक विधियों एवं संसाधनों ने शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है। ज्ञान-विज्ञान के इस युग में हर क्षेत्र में परिवर्तन-युक्त नित नये-नये अधिष्ठात्र हो रहे हैं जिसकी अपनी गरिमा एवं महत्व है। समाज के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन युक्त नवीन विचारों एवं अधिष्ठात्रों को आत्मसात् करने से इन सबको नयी स्फूर्ति, नया स्वरूप एवं विकास के नये रास्ते मिले हैं। अतएव परिवर्तन युक्त वे साधन एवं माध्यम जिन्होंने व्यक्ति के व्यवहार में नवीनता युक्त तथ्यों, मान्यताओं, विचारों का बीजारोपण करके व्यक्ति को नवीन प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख किया है, नवाचार कहलाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु नये-नये साधन एवं विधियों को शैक्षिक नवाचार कहते हैं।

‘नवाचार’ आँग्ल भाषा के – ‘इन्नोवेशन’ (Innovation) शब्द से बना है जिसकी उत्तपत्ति ‘इन्नोवेट’ (Innovate) शब्द से हुई है। इन्नोवेट शब्द का अर्थ होता है –

(क) to introduce novelties (नवीनता लाना)।

(ख) to make changes (परिवर्तन लाना)।

इस प्रकार ‘इन्नोवेशन’ का अर्थ हुआ— ‘वह परिवर्तन जो नवीनता लाए’।

समस्या कथन :

‘माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व एवं शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन’

शोध के उद्देश्य :

- जयपुरजिले के शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता के संदर्भ में अध्ययन करना।
- सीकरजिलेके शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता के संदर्भ में अध्ययन करना।
- जयपुरजिलेके शिक्षकों की उत्तरदायित्व की भावना के संदर्भ में अध्ययन करना।
- सीकरजिलेके शिक्षकों की उत्तरदायित्व की भावना के संदर्भ में अध्ययन करना।
- जयपुरजिलेके शिक्षकों की शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृत्तिके संदर्भ में अध्ययन करना।
- सीकरजिलेके शिक्षकों की शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृत्तिके संदर्भ में अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ :

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया है—

1. जयपुर जिले के शिक्षकों एवं सीकरजिले के शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. जयपुर जिले के शिक्षकों एवं सीकर जिलेके शिक्षकों की उत्तरदायित्व की भावना में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. जयपुर जिले के शिक्षकों एवं सीकर जिलेके शिक्षकों की शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृत्तिमें कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. जयपुर जिले के पुरुष शिक्षकों एवं सीकर जिले के पुरुष शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
5. जयपुर जिले के पुरुष शिक्षकों एवं सीकर जिले के पुरुष शिक्षकों की उत्तरदायित्व की भावना में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
6. जयपुर जिले के पुरुष शिक्षकों एवं सीकर जिले के पुरुष शिक्षकों की शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृत्तिमें कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
7. जयपुर जिले कीमहिला शिक्षकों एवं सीकर जिले की महिला शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
8. जयपुर जिले की महिला शिक्षकों एवं सीकर पुरुष जिले की शिक्षकों की उत्तरदायित्व की भावना में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
9. जयपुर जिले की महिला शिक्षकों एवं सीकर जिले की महिला शिक्षकों की शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृत्तिमें कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

प्रमुख शब्दों की संक्रियात्मक परिभाषा :

- व्यवसायिक प्रतिबद्धता** :—व्यवसायिक प्रतिबद्धता से तात्पर्य चयनित शिक्षकों की अपने व्यवसाय के प्रति समर्पण की भावना से है।
- उत्तरदायित्व** :—उत्तरदायित्व का अर्थ होता है—ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा तथा अपने कार्य के प्रति जबावदेही। शिक्षक उत्तरदायित्व से तात्पर्य शिक्षकों की अपने व्यवसाय, विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा समाज के प्रति जबावदेही से है।
- शैक्षिक नवाचार** :—विश्व में वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टि से शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि करने तथा शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने हेतु शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग को प्रस्तुत शोध में शैक्षिक नवाचार कहा गया है।
- शिक्षक** :—प्रस्तुत शोध अध्ययन में शिक्षकों से तात्पर्य सरकारी अथवा गैर—सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं दोनों से है।
- माध्यमिक विद्यालय** :—वे सरकारी, अथवा गैर—सरकारी विद्यालय जिनमें कम से कम 10वीं की कक्षाएं संचालित हैं।

शोध अध्ययन का परिसीमांकन :

- प्रस्तुत शोध अध्ययन में केवल जयपुर व सीकर जिले में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ही सम्मिलित किया गया है।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन में केवल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से संबद्ध तथा राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को ही सम्मिलित किया गया है।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन में राजकीयमाध्यमिक विद्यालयों को ही सम्मिलित किया गया है।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को ही सम्मिलित किया गया है।

शोध अध्ययन की विधि :

प्रस्तावित अनुसंधान वर्णनात्मक अनुसंधान है जिसके अध्ययन के लिए सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है।

न्यादर्श :

प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्तरीकृत न्यादर्श विधि का प्रयोग करते हुये न्यादर्श का चयन किया गया है। जयपुर व सीकर जिले में संचालित माध्यमिक विद्यालयों में से 600 शिक्षकों को साधारण यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा चुना गया है। जिसमें 300 शिक्षक राजकीय विद्यालयों व 300 शिक्षक निजी विद्यालयों से लिए गए हैं।

अनुसंधान हेतु प्रयुक्त उपकरण :

प्रस्तावित शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित तीन उपकरणों का प्रयोग किया गया है –

- ‘अध्यापक व्यवसायिक प्रतिबद्धता मापनी’ (2011), माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए। (डॉ. रविन्द्र कौर, डॉ. सरबजीत कौर ‘रानू’ एवं श्रीमती सरबजीत कौर ‘बरार’ द्वारा निर्मित एवं प्रमापीकृत)
- ‘अध्यापक उत्तरदायित्व मापनी’ माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए। (स्वनिर्मित)
- ‘अध्यापक शैक्षिक नवाचार अभिवृत्ति मापनी’ माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए। (स्वनिर्मित)

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष :

माध्यमिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इस स्तर पर छात्र एवं छात्राओं का बौद्धिक विकास पूर्ण रूप से हो चुका होता है तथा उनके भविष्य की शैक्षिक संभावनाओं की नींव पड़ने लगती है। निःसंदेह यदि संपूर्ण शैक्षिक भवन की नींव रूपी माध्यमिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी तो शेष भवन महज एक कोरी कल्पना होगी। वस्तुतः शिक्षा की गुणवत्ता बहुत हद तक शिक्षकों पर निर्भर करती है। इनके अनुसार ही शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित होती है। शैक्षिक गुणवत्ता की प्रभावशीलता का मापन विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व एवं शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृत्ति के संदर्भ में एक अध्ययन शिक्षकों एवं विद्यार्थियों पर किये गए सर्वेक्षण पर

आधारित है। पिछले अध्यायों में शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व एवं शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृत्ति के संदर्भ में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का विश्लेषण एवं विवेचन किया गया है तथा शोध अध्ययन से संबंधित 9 शून्य परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया। इनमें से सभीनौ शून्य परिकल्पनाएँ स्वीकृत हुई हैं। प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ एवं भावी अनुसंधानों हेतु सुझावों का उल्लेख किया गया है।

जयपुर एवं सीकर जिले शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व तथा शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृत्ति के तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित हैं—

- हुआ है 298 (DF) स्वतंत्रता के अंश पर 0.05 एवं 0.01 सार्थकता स्तर का मान क्रमशः 1.97 एवं 2.59 सारणी में दिया गया है। गणना द्वारा प्राप्त टी—मूल्य सारणी में दिए गए दोनों मानों से कम है। अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना स्वीकृत की गई तथा इस आधार पर कहा जा सकता है कि जयपुर जिले के शिक्षकों एवं सीकर जिले की महिला शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
8. जयपुर जिले के शिक्षकों एवं सीकर जिले की महिला शिक्षकों की उत्तरदायित्व की भावना में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। तालिका संख्या 4.8 के अनुसार इनके मध्यमानों के अन्तर को ज्ञात करने हेतु टी मूल्य 0.46 प्राप्त हुआ है 298 (DF) स्वतंत्रता के अंश पर 0.05 एवं 0.01 सार्थकता स्तर का मान क्रमशः 1.97 एवं 2.59 सारणी में दिया गया है। गणना द्वारा प्राप्त टी—मूल्य सारणी में दिए गए दोनों मानों से कम है। अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना स्वीकृत की गई तथा इस आधार पर कहा जा सकता है कि जयपुर जिले के शिक्षकों एवं सीकर जिले की महिला शिक्षकों की उत्तरदायित्व की भावना में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
9. जयपुर जिले के शिक्षकों एवं सीकर जिले की महिला शिक्षकों की शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। तालिका संख्या 4.9 के अनुसार इनके मध्यमानों के अन्तर को ज्ञात करने हेतु टी मूल्य 0.34 प्राप्त हुआ है 298 (DF) स्वतंत्रता के अंश पर 0.05 एवं 0.01 सार्थकता स्तर का मान क्रमशः 1.97 एवं 2.59 सारणी में दिया गया है। गणना द्वारा प्राप्त टी—मूल्य सारणी में दिए गए दोनों मानों से कम है। अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना स्वीकृत की गई तथा इस आधार पर कहा जा सकता है कि जयपुर जिले के शिक्षकों एवं सीकर जिले की महिला शिक्षकों की शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

भावी अनुसंधान हेतु सुझाव :

प्रस्तुत शोध में जयपुर एवं सीकर जिलेमें स्थित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व एवं शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृत्ति के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अनुसंधान को शोधकर्ता ने समय, श्रम एवं साधनों की सीमितता के कारण सीमित क्षेत्र के शिक्षकों पर ही किया है। अतः भावी अनुसंधानकर्ता अन्य पहलुओं पर भी शोध कार्य कर सकते हैं। भावी अनुसंधान हेतु यहाँ कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं—

1. प्रस्तुत अध्ययन उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर सम्पादित किया गया है। भावी शोधकर्ता इसे प्राथमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों पर कर सकते हैं।
2. प्रस्तुत अध्ययन जयपुर एवं सीकर जिले के विद्यालयों के शिक्षकों पर किया गया है। भविष्य में इसे और वृहद स्तर पर किया जा सकता है।
3. प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व एवं शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृत्ति के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। भविष्य में इसे अन्य चरों के संदर्भ में भी किया जा सकता है।
4. प्रस्तुत अध्ययन केवल हिन्दी माध्यम के विद्यालयों पर किया गया है। भविष्य में इसे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों पर सम्पादित किया जा सकता है।
5. भावी अध्ययन में तीन चरों— शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व तथा शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृत्ति के संदर्भ में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन किया जा सकता है।
6. भावी शोधकर्ता शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व एवं शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृत्ति के मध्य सह—संबन्ध का अध्ययन कर सकते हैं।
7. भावी शोधकर्ता शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की व्यावसायिक प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व एवं शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. जीत, योगन्न भाई (2006). शिक्षा में नवाचार और नवीन प्रवृत्तिया अष्टम् संस्करण, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा पृष्ठ संख्या—57
2. सिंह, आर.आर. (2007). नैतिकता के लिए शिक्षा. जयपुर : आर.वी.एस.एस पब्लिशर्स. पृष्ठ संख्या—23
3. थानवी, रमेश (2003). किसे कहते हैं अध्यापक जयपुर : अनौपचारिका, राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा समिति
4. डा. त्यागी, बी.डी. (2010). प्रसार शिक्षा एवं सामुदायिक विकास रामापब्लिशिंग हाउस, मेरठ
5. सुखिया, एस.पी. (1973). शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व. द्वितीय संस्करण आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर. पृष्ठ संख्या—487

6. हकीम, एम.ए. और अस्थाना, विपिन (1994). मनोविज्ञान की शोध विधियाँ. आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर. पृष्ठ संख्या—169
7. यादव, एम.आर. अनुसंधान परिचय. आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर. पृ.सं. 74
8. व्यास, हरिशचन्द्र. (2001). हम और हमारी शिक्षा. जयपुर : पंचशील प्रकाशन चौड़ा रास्ता. पृ.सं. 17
9. त्रिवेदी, आर.एन. एवं शुक्ला, डी.पी. (2008). रिसर्च मैथडोलॉजी. जयपुर : कॉलेज बुक डिपो. पृष्ठ संख्या 321
10. दासवानी, प्रारम्भिक शिक्षा एक सार्वजनिक रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1996
11. अम्बर्स्ट व रथ, प्रारम्भिक शिक्षा के नवीन प्रयास, प्रथम संस्करण, 2010, आर.एस.ए. इण्टरनेशनल, आगरा,
12. राव, प्रारम्भिक शिक्षा एक सार्वजनिक रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1996
13. यूनेस्को, परिप्रेक्ष्य राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन, विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, वर्ष 17, अंक-3, दिसम्बर, 2010
14. ट्रेज एवं गोया, "प्राइमरी शिक्षक" त्रैमासिक पत्रिका एनसीआरटी, अप्रैल, 2017
15. चटर्जी एवं खान, "भारतीय आधुनिक शिक्षा" एनसीईआरटी, जनवरी, 2004, वर्ष 2003
16. गोस्वामी, ए उर्मी, एजुकेशन फार आल, एड्रीम एज स्टेड्स फेल टू हायर टीचर्स, इकोनोमिक टाइम्स, मुम्बई, वर्ष 2014